



न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (UID No. RJ 00152)

जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 112/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 38/2026, आरक्षी केन्द्र सिवाना

CNR : RJBA010004842026

जेठाराम पुत्र मांगाराम, उम्र 39 वर्ष, निवासी खेतलावास, पुलिस थाना सायला, जिला जालौर ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य ।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 38/2026,
पुलिस थाना सिवाना, अपराध अन्तर्गत धारा 318(4),
316(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :-

1. श्री राजेन्द्रपालसिंह, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र प्रजापत, विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से ।
3. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

-- आदेश --

दिनांक : 13.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी । अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूठा संलिप्त किया है । प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है । सहअभियुक्त मोटसिंह



उर्फ मोन्टू का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, जिससे प्रार्थी का मामला उससे गंभीर प्रकृति का नहीं है।

3. यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी दिनांक 24.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में अभी समय लगने की संभावना है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया।
4. विद्वान लोक अभियोजक व परिवादी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रकरण में अभी मुख्य अपराधी फरार है। यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप है। प्रार्थी के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया।
5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त जेठाराम का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:-

क्र.सं.	मुकदमा नं.	पुलिस थाना	धारा	चालान नं.	स्थिति
1.	122/2003	-	323, 325 भा.दं.सं.	80/30.07.2003	बरी/ 22.03.2006
2.	07/2008	-	143, 447, 448 भा.दं.सं.	65/21.05.2008	पैजिडिंग ट्रायल
3.	111/2014	-	452, 504, 323/34 भा.दं.सं. व 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट	11/28.02.2015	दोषमुक्त/ 14.09.2021

6. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्कों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से मामला इस प्रकार जाहिर होता है कि परिवादी ने मां विरात्रा ट्रांसपोर्ट के मालिक संपतसिंह को अनार कलकत्ता भेजने हेतु सम्पर्क किया एवं पाँच ट्रकों में क्रमशः 2433, 2470, 2488, 2490 व 2450 अनार की पेटियाँ कलकत्ता भेजने हेतु सुपुर्द की, जिसकी कीमत करीबन 1,38,96,995/- रुपये होना तथ्यात्मक रिपोर्ट में बताया गया है परन्तु माल अनार गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचाकर उसे खुर्दबुर्द किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी नामजद नहीं है न ही प्रार्थी को परिवादी द्वारा अनार सुपुर्द किया जाना ही बताया है। प्रार्थी दिनांक 24.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है। सहअभियुक्त मोटसिंह उर्फ मोन्टू का जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है जिससे प्रार्थी का मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है। प्रकरण के



अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

--: आदेश :-

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त जेठाराम की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत पचास हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो जमानतें अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

8. आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा